बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011 676 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक – 269, दिनांक 24.01.2017, 3682 दिनांक 28.07.2017, 4957 दिनांक 03.10.2017, 5827 दिनांक 17.11.2017 एवं 6476 दिनांक 20.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओ यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समीक्षा यात्रा के क्रम में समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर आया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पात्र लाभुकों को नये राशन कार्ड के निर्गमन/नाम में संशोधन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड के प्रत्यर्पण/रद्दीकरण की गति काफी धीमी है । सभी जिलों के प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अबतक सभी जिलों द्वारा मात्र 28938 नये राशन कार्ड ही निर्गत किये गये है जो कि अत्यंत क्षोभ का विषय है । उल्लेखनीय है कि पात्र लाभुकों को जांचोपरांत लोक निर्दिष्ट लोक सेवक (अनुमंडल पदाधिकारी) के द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करना है परन्तु उक्त कार्य में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीन सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अविलंब बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
8/2/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–06/विविध–32/2011 676 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/02/2018

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, खाद्य/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/2/2018
सरकार के सचिव ।